126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रांड गेज रेल परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIA) हेतु

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–4 (1) तथा उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात और सहमति) नियमावली–2015 के नियम–3 (1) तथा प्रारूप–1 का भाग (आ) के अनुसार सामाजिक समाघात अध्ययन तथा लोक प्रयोजन के अवधारण हेतु तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना (SIMP) तैयार करने हेतु समुचित सरकार निम्नवत् अधिसूचना जारी करती है।

(क) 1. **परियोजना विकासकर्ता–** भारतीय रेल,भारत सरकार की ओर से रेल विकास निगम लि0 ऋषिकेश।

2 **परियोजना का संक्षिप्त वर्णनः–** उत्तराखण्ड की विशेष रेल परियोजना, 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण में क्रमशः देहरादून, टिहरी, पौडी, रूद्रप्रयाग व चमोली जनपद के अन्तर्गत कुल 13 स्टेशन तथा छोटे–बडे 16 पुल एवं 16 सुरंग निर्मित की जानी प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

जनपद	देहरादून	टिहरी	पौडी	रूद्रप्रयाग	चमोली	कुल
रेल लाईन की लम्बाई	5.971 कि0मी0	50.029 कि0मी0	32.090 कि0मी0	24.700 कि0मी0	12.310 कि0मी0	125.100 कि0मी0
स्टेशनों की संख्या	02	04	03	02	02	13
पुलों की संख्या	00	06	05	03	02	16
सुरंग	00	07	04	03	02	16

3. **भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विस्तार " ग्रामवार "–** जिन ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है, जिनकी प्रकिया अधिनियम–2013 व नियमावली–2015 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सम्पादन हेतु जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम/प्रस्तावित क्षेत्रफल निम्नवत् हैः–

क0सं0	तहसील	ग्राम	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित नाप भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	रूद्रप्रयाग	देजी माण्डा	मलवा निस्तारण	0.897 है0
2.		खांकरा	म्लवा निस्तारण	2.405 है0
3.		नरकोटा	मलवा निस्तारण/पुल निर्माण	1.976 है0
4.		पुनाड	एडिट क्षेत्र	0.420 है0
5.		तिलणी	सुरंग/मलवा निस्तारण	3.432 है0
6.		सुमेरपुर	मलवा निस्तारण/स्टेशन	6.345 है0
7.		रतूडा	सुरंग निर्माण	0.230 है0
8.		नगरासू	अंशतः बाहर स्टेशन निर्माण/मलवा निस्तारण	5.163 है0
9.		मारवाड (मरोडा)	–ऐ–	1.259 है0
10.		मवाना	–ऐ–	1.671 है0
	योगः–			23.798 है0

Raghav

(ख) 1. **SIA के मुख्य उद्देश्य–** ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना भारत सरकार की सामरिक महत्व की राष्ट्रीय विकास परियोजना है, जिसके निर्माण से पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय विकास में व्यापक व क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। साथ ही उक्त परियोजना से प्रभावित ग्रामों के सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन/समाघात (IMPACT) होने की सम्भावना है। इसलिये निम्नवत SIA अध्ययन व रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जानी है।

2. **महत्वपूर्ण कियाकलाप–** 1. परामर्श– सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में समाघात समिति की बैठक दिनांक 10–05–2016 को समय 2:00 बजे जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग के सभागार में निर्धारित की गई है, जिसमें सम्बन्धित ग्रामों के जनप्रतिनिधि (ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य), सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित तहसीलदार एवं सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित ऐजेन्सी उपस्थित रहेंगे। बैठक में सामाजिक समाघात प्रकिया के सम्बन्ध में विस्तार से परिचर्चा/परामर्श किया/लिया जायेगा।

2. सर्वेक्षण हेतु तिथि एवं सर्वे दल का विवरण निम्नवत् है।

3. सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां– SIA रिपोर्ट व निष्कर्षो के पश्चात आयोजित की जायेगी।

(ग) रेल परियोजना, लोक प्रयोजन, भारतीय रेल, भारत सरकार की महत्वकांक्षी विशेष रेल परियोजना घोषित है। अतः ग्रामसभा/भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित नहीं है।

(घ) **SIA की समय सीमा–** अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिन पश्चात ग्राम स्तर पर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन शुरू कर लगभग 02 माह अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिसूचना की प्रतियां सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील, ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर एवं राज्य सरकार की बेबसाईट www.rudraprayag .nic.in में प्रकाशित की जायेगी। पोस्टर/पुस्तिका व डुग–डुगी के माध्यम से भी प्रचारित किया जायेगा। SIA अध्ययन रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना, तहसील/जिला कार्यालय में तथा बेवसाईट पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(ड.) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में किसी भी प्रकार कीं उत्पीडन/धमकी का प्रयास से कार्यवाही अकृत/शून्य हो जायेगी। SIA दल की नियुक्ति में अपेक्षक निकाय (रेल विकास निगम), कलेक्टर/सर्वे दल द्वारा मांगे गये समस्त परियोजना सम्बन्धी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करेगा। सर्वे दल के सदस्य अभिलेखों के अतिरिक्त, अपेक्षक निकाय से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति व सर्वेक्षण दल के सम्पर्क न0

क्र0सं0	SIA समिति व सर्वेक्षण दल	मोबाईल नम्बर
1.	उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग	8859504002
2.	तहसीलदार रूद्रप्रयाग	8859504006
3.	खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि	8859504033
4.	सर्वे दल का अध्यक्ष–1 मनीष कुमार, शोध छात्र, गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल	9532100927
5.	सर्वे दल का अध्यक्ष–2 मनवीर सिंह नेगी, शोध छात्र, गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल	7830959595
6.	सर्वेक्षण एजेन्सी–H.N.B. गढवाल वि0वि0 श्रीनगर, समाज शास्त्र विभाग	9412029947

दिनांक– 06 मई 2016
स्थान– रूद्रप्रयाग।

कलेक्टर,
रूद्रप्रयाग

कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर रूद्रप्रयाग।

संख्या–4247/आठ–03 (2015–16) दिनांक, रूद्रप्रयाग, मई 06, 2016

1– प्रतिलिपिः– जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आज ही दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति अपने–अपने कार्यालयों के सूचना पटट पर चश्पा करवाना सुनिश्चित करें।

1– प्रभारी अधिकारी (भू0अध्या0), जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग।

2– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार रूद्रप्रयाग।

3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग।

4– खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में चश्पा हेतु।

कलेक्टर,
रूद्रप्रयाग।